

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020—फाल्गुन 23, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. एफ 3-12-2018-एक (1)-351.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रि-परिषद् के निम्नलिखित मंत्रियों को मंत्रि-परिषद् से तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है:—

#### मंत्री

1. श्रीमती इमरती देवी
2. श्री तुलसी सिलावट
3. श्री गोविंद सिंह
4. श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया
5. श्री प्रद्युमन सिंह तोमर
6. डॉ. प्रभुराम चौधरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. एफ 3-12-2018-एक (1)-352—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-12-2018-एक (1)-351, दिनांक 13 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 13th March 2020

No. F 3-12-2018-ONE(1)-351.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister has been pleased to remove the following members of the Cabinet, as Minister, with immediate effect.

**Ministers :—**

1. Smt. Imarti Devi
2. Shri Tulsi Silawat
3. Shri Govind Singh
4. Shri Mahendra Singh Sisodiya
5. Shri Pradhuman Singh Tomar
6. Dr. Prabhuram Choudhary

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. SINGH, Additional Chief Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. एफ 3-12-2018-एक(1)-353.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-12-2018-एक(1) दिनांक 29 दिसम्बर 2018 में अंशतः संशोधन करते हुए और मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन नियम) के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित मंत्रियों के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य सूची के विषय उनके वर्तमान प्रभार के विभागों के साथ सौंपते हैं:—

स. क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	अतिरिक्त सौंपे गए विभाग (3)
1.	डॉ. विजय लक्ष्मी साधू, मंत्री	महिला एवं बाल विकास विभाग
2.	डॉ. गोविंद सिंह, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
3.	श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, मंत्री	परिवहन विभाग
4.	श्री सुखदेव पांसे, मंत्री	श्रम विभाग
5.	श्री जीतू पटवारी, मंत्री	राजस्व विभाग
6.	श्री कमलेश्वर पटेल, मंत्री	स्कूल शिक्षा विभाग
7.	श्री तरूण भनोत, मंत्री	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. एफ 3-12-2018-एक(1)-354.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-12-2018-एक(1)-353 दिनांक 13 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 13th March, 2020

No. F 3-12-2018-ONE(1)-353.—In partial notification of the department's Notification No. F 3-12-2018-ONE(1)-1296 dated the 29th December, 2018 and in pursuance of Rule-4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh has been pleased to assign the additional charge to the following Ministers, of the Department(s) and/or the item(s) of business in the department(s) shown against their names:—

S. No. (1)	Name of the Minister (2)	Additional Department(s) (3)
1.	Dr. Vijaylaxmi Sadho	Women and Child Develoment
2.	Dr. Govind Singh	Food, Civil Supplies and Consumer Protection
3.	Shri Brajendra Singh Rathore	Transport
4.	Shri Sukhdev Panse	Labour
5.	Shri Jitu Patwari	Revenue
6.	Shri Kamleshwar Patel	School Educaton
7.	Shri Tarun Bhanot	Public Health and Family Welfare

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. SINGH, Additional Chief Secy.